Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food and Supplies
खाद्य एवं पूर्ति निदेशालय

परम अग्रता

सेवा में

सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक,
हरियाणा राज्य में ।

यादि कमांक: 2ई(1)-2015/ 25010
दिनांक, चण्डीगढ 29/07/15

विषय:- **वर्ष 2014-15 की चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित सूचना भेजने बारे ।**

उपरोक्त विषय पर मुख्यालय के पत्र यादि क्रं0 2ई(1)-2015/21105 दिनांक 23.06.2015 के संदर्भ में।

2. सन्दर्भाधीन पत्र द्वारा आपको चल-अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रोफार्मा भेजते हुए निर्देश दिये गये थे कि आप अपनी तथा आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रोपर्टी रिटर्न की सूचना प्राप्त करके मुख्यालय पर 15 दिन के अन्दर-2 भेजना सुनिश्चित करें । जिसके संदर्भ में मुख्यालय से समय-समय पर पत्र लिखे जाने उपरांत भी आपसे व आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रोपर्टी रिटर्न की सूचना प्राप्त नही हो रही है। जिसे महानिदेशक खाद्य महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया है।

3. अत: आपको पुन: निर्देश दिये जाते हैं कि आप स्वयं तथा आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2014-15 और यदि पिछले वर्षो की भी प्रोपर्टी रिटर्न की सूचना मुख्यालय पर नही भेजी गई है, तो उस अवधि की भी प्रोपर्टी रिटर्न की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-2 मुख्यालय पर भिजवाना सुनिश्चित करें तथा ***"इस बारे अपना प्रमाण पत्र भी दें कि आपके अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोपर्टी रिटर्न प्राप्त करके मुख्यालय पर भिजवा दी गई है"***। अन्यथा आपके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते: महानिदेशक खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा ।

पृ0 क्रमांक: 2ई(1)-2015/ 25011 दिनांक, चण्डीगढ 29/07/15

उपरोक्त की एक प्रति मुख्यालय पर कार्यरत सभी शाखा अधिकारियों/शाखा ईन्चार्जो को इस शाखा के पत्र पृ0 कमांक 2ई(1)-2015/21106 दिनांक 23.06.2015 के सन्दर्भ में भेजते हुए अनुरोध है कि वे भी स्वंय अपनी तथा अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों की प्रोपर्टी रिटर्न निर्धारित प्रोफार्मा में भर कर स्थापना-। शाखा को पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अन्दर-2 भेजना सुनिश्चित करें।

उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते: महानिदेशक खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा ।